तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 29/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/44) बअनवान देरावरसिंह बनाम भैरूसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस देरावरसिंह **बनाम** भैरूसिंह के का.मु. विजेन्द्रसिंह इत्यादि उपस्थिति 1. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट 2. श्री गिरधरसिंह भाटी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन **<u>आदेश</u>** **दिनांक 28.01.2025** अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 149/2023 अनवान देरावरसिंह बनाम भैरूसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 जनवरी 2024 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 19 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की गई। बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1117 रकबा 115.02 बीघा, खसरा नं. 1177/1 रकबा 9.3887 हैक्टेयर के मूल खातेदार सांगसिंह पुत्र जोधसिंह थे। यह निर्विवादित तथ्य है कि मूल खातेदार सांगसिंह के दो पुत्र भैरूसिंह व देरावरसिंह थे, जिसमें भैरूसिंह का देहांत हो गया है, जिनके वारिस प्रत्यर्थी संख्या 1/1 से 1/4 है। सांगसिंह के फौत होने पर फौतेदगी नामांतरकरण संख्या 388 अकेले भैरूसिंह के नाम स्वीकृत हो गया, जबकि भैरूसिंह के साथ में अपीलार्थी का भी 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा नं. 1177 रकबा 115 बीघा 02 बिस्वा संपूर्ण भूमि अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में रख दी, जिसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 757 ग्राम बारू स्वीकृत किया गया। गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर अपीलार्थी की पैतृक कृषि भूमि का अप्रार्थी संख्या तीन को आगे बैचान कर दिया। उक्त बेचान वादी के 1/4 हिस्से तक कानूनन बेअसर व शून्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से यह भली भॉति साबित कर दिया गया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है तथा अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा निहित है। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अपीलांट के कथनों का खण्डन नहीं किया गया है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते रेस्पोडेंट्स को वादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द करने की खुली छूट दे दी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जनवरी 2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या तीन वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से में पंजीबद्ध विक्रय विलेख के सद्भाविक क्रेता एवं रेकर्डेड खातेदार है। रेस्पोडेंट संख्या तीन द्वारा वक्त खरीद वादग्रस्त खाता अलग करवाकर निरंतर काबिज काश्त चली आ रही है तथा वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 1177/1 रकबा 9.3887

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हैक्टेयर की खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेंट संख्या दो को वादग्रस्त आराजी पारिवारिक समझौते अनुसार स्वीकृत नामांतरकरण के जरिये प्राप्त हुई है, जिससे अपीलांट भी पाबंद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं पर अपना मत प्रतिपादित करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात सहित अन्य भूमियॉ पूर्व में गोपालसिंह पुत्र कल्याणसिंह व अपीलांट के पिता सांगसिंह पुत्र जोधसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही है। गोपालसिंह एवं भैरूसिंह के मध्य हुए पारिवारिक बंटवाड़े की पालना में नामांतरकरण संख्या 757 की पालना में खसरा नं. 1177 की संपूर्ण भूमि गोपालसिंह पुत्र कल्याणसिंह के नाम दर्ज होना प्रतीत होती है। तत्पश्चात गोपालसिंह द्वारा उक्त भूमि आगे बेचान की गई है तथा वर्तमान में नवीन क्रेतागणों के नाम दर्ज हुई है।

अपीलांट के भाईयों द्वारा किये गये पारिवारिक बंटवाड़े की वैधता का निर्धारण मूल वाद में जरिये साक्ष्य में तय होनी है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज रेकर्डेड खातेदारों/सद्भाविक क्रेतागणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कानूनन न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में नहीं पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदु पर समुचित निष्कर्ष पारित करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 29/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/44) बअनवान देरावरसिंह बनाम भैरूसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

	नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 149/2023 अनवान देरावरसिंह बनाम भैरूसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 जनवरी 2024 यथावत रखा जाता है। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। (ओमप्रकाश विश्नोई) राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	